



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, Email- bscapatna@gmail.com, वेबसाइट : https://bsca.bihar.gov.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-14/2024

2012

/पटना, दिनांक

10/11/2024

प्रेषक,

पुरुषोत्तम पासवान, भा०प्र०से०

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

सभी उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),

सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

विषय : नामांकन शुल्क की राशि समिति कार्यालय, प्रखंड कार्यालय के साथ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उसके शाखाओं में समिति के खाता में जमा किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-5 (ग) में नामांकन शुल्क की राशि के संदर्भ में निदेश दिये गये हैं। इसके अनुसार "नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहकारी समिति के कार्यालय में जमा की जाएगी तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा कराई जा सकेगी। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराई गई नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम दो सप्ताह के अंदर संबंधित समिति के खाता में जमा कर दी जाएगी।" (प्रति संलग्न)

प्राधिकार को प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि प्रखंड कार्यालय/ अनुमंडल कार्यालय में जमा कराई गई नामांकन शुल्क की राशि समिति के खाता में ट्रांसफर नहीं की जाती है, जिससे समिति को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है।

अतः विचारोपरांत प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि नामांकन शुल्क की राशि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उसके शाखाओं में समिति के खाता में भी जमा कराई जा सकेगी। संबंधित शाखा द्वारा समुचित रसीद निर्गत किया जायेगा, जिससे पहचान सुनिश्चित हो सके कि अमुक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित समिति के खाता में ही नामांकन शुल्क मद् में राशि जमा की गयी है। नामांकन शुल्क जमा करने के लिए यह एक अतिरिक्त विकल्प होगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इसे स्वीकार किया जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस हद तक पूर्व में निर्गत निदेश को संशोधित समझा जाए।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन

(40/10/11)
पुरुषोत्तम पासवान)

सचिव।

P.T.O

ज्ञापांक: 2012

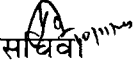
/पटना, दिनांक 10/11/2024

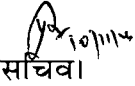
प्रतिलिपि: प्रबंधक निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस आशय का निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

ज्ञापांक: 2012

/पटना, दिनांक 10/11/2024

प्रतिलिपि: सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव।


सचिव।



(ग) नामांकन शुल्क

विभिन्न स्तर के विभिन्न सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी कमिटी के अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु नामांकन शुल्क की राशि प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 579 दिनांक 07.05.2013 द्वारा निम्नवत् निर्धारित है :-

क्र०	सहयोग समितियों का प्रकार	सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क	आरक्षित कोटि (महिला सहित) के लिए नामांकन शुल्क
1	प्राथमिक स्तर (Primary Level)	₹ 1,000/-	₹ 500/-
2	केन्द्रीय स्तर (Central Level)	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
3	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (Milk Union)/ डेयरी प्रोजेक्ट	₹ 2,000/-	₹ 1,000/-
4	शीर्ष/ राज्य स्तर (Apex/ State Level)	₹ 5,000/-	₹ 2,500/-

2. नामांकन शुल्क की राशि संबंधित सहयोग समितियों के कार्यालय में जमा की जायेगी तथा इस प्रकार प्राप्त राशि संबंधित सहयोग समिति के खाते में जमा होगी। समितियों में राशि जमा करने में कोई कठिनाई या असुविधा की स्थिति में नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में भी जमा करायी जा सकेगी, जो राशि जमा किये जाने के परिणामस्वरूप समुचित रसीद निर्गत करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायी गयी नामांकन शुल्क की राशि निर्वाचन की समाप्ति के पश्चात् अधिकतम दो सप्ताह के अंदर संबंधित समिति के खाते में जमा करा दी जायेगी। नामांकन शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में अप्रत्यर्पणीय (Non-refundable) होगी।

3. सहयोग समितियों के निर्वाचन के संदर्भ में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों से तात्पर्य है- अनुसूचित जाति कोटि, अनुसूचित जनजाति कोटि, पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि एवं महिला कोटि के अभ्यर्थी। महिला चाहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग / सामान्य कोटि - किसी कोटि की हो, नामांकन शुल्क के लिए हमेशा आरक्षित कोटि की मानी जायेगी।

4. आरक्षित कोटि से नामांकन भरने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ-साथ अपनी जाति के दावे के समर्थन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा संबंधित कोटि से उनका नामांकन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं रहेगा।

5. आरक्षित कोटि का कोई सदस्य (महिला छोड़कर) अगर अनारक्षित कोटि के किसी पद के लिए नामांकन पत्र भरना चाहे तो नामांकन शुल्क में आरक्षित कोटि के लिये विहित रियायत प्राप्त करने के लिए उसे अपने नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी। आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें सामान्य कोटि के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जमा करना होगा।